राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1422/2024

अशोक कुमार शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये शासन सचिव, पंचायती राज विभाग, सचिवालय, जयपुर।
2. जिला प्रोग्राम कोर्डिनेटर (महात्मा गांधी नरेगा) एवं जिला कलेक्टर, कलेक्ट्रेट, अलवर।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, अलवर।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 21.05.2024

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री अभिषेक शर्मा, अभिभाषक
प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री विक्रम सिंह राठौड, कैवियटर

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
शुचि शर्मा, सदस्य

आदेश

1. अपीलार्थी द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 29.02.2024 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गयी है, जिसके द्वारा अपीलार्थी जो सहायक अभियंता के पद पर पंचायत समिति, रैणी, जिला अलवर में कार्यरत है, के विरूद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13(1)(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निलम्बित किया गया है एवं अपीलार्थी का निलम्बन काल में मुख्यालय जल ग्रहण एवं भू–संरक्षण, जिला परिषद, अलवर में किया गया है।
2. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी को पंचायत समिति, रैणी में विकास अधिकारी का अतिरिक्त कार्यभार आदेश दिनांक 01.02.2024 को दिया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी ने पंचायत समिति, रैणी के विकास अधिकारी के पद पर कार्यभार दिनांक 12.02.2024 को ग्रहण किया। अपीलार्थी को पंचायत समिति, रैणी के सम्बन्ध में अपीलार्थी ने दिनांक 20.02.2024 समय 09.40 पर अनुष्का जाटव, लेखा सहायक (नरेगा) को नियमानुसार भुगतान किये जाने के लिये निर्देशित किया गया था। अनुष्का जाटव ने अपनी मनमर्जी से पंचायत समिति, रैणी को आवंटित राशि 210.06

लाख रूपये के स्थान पर 274.06 लाख रूपये का भुगतान कर दिया। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने दिनांक 20.04.2024 को भुगतान कार्य नहीं किया और अपीलार्थी दिनांक 20.04.2024 को विभागीय जांच में एक दिन के लिये जयपुर गया हुआ था। अपीलार्थी के विरूद्ध गलत प्रकार से कार्यवाही की जा रही है और अपीलार्थी को बिना किसी कारण के निलम्बित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि निलम्बन आदेश निरस्त किया जाए एवं प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी को निलम्बन से बहाल किये जाने के आदेश दिये जाए।

3. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि आदेश दिनांक 29.02.2024 पूर्णतः नियमानुसार जारी आदेश है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना एवं नियमों का उल्लंघन नहीं है। दिनांक 20.02.2024 को राज्य स्तर से सामग्री मद का भुगतान किये जाने हेतु राशि हस्तांतरित की गई। इस क्रम में विकास अधिकारी एवं सहायक लेखाधिकारी पंचायत समिति समस्त को कार्यालय स्तर से पंत्राक 2608–09 दिनांक 19.02.2024 को प्रासंगिक पत्र के संदर्भ में निर्देश प्रदान किये गये थे। इस संबंध में दिनांक 20.02.2024 को विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी के पत्रांक 2843–45 दिनांक 20.02.2024 द्वारा आवंटित राशि से अधिक राशि का भुगतान किये जाने हेतु अवगत कराया गया था, जिसमें पंचायत समिति रैणी में नियोजित संविदा कार्मिक श्रीमती अनुष्का जाटव, लेखा सहायक (नरेगा) द्वारा आवंटित राशि 210.06 के स्थान पर 274.06 का भुगतान कर दिया गया, जो कि राशि रूपये 64 लाख का नियम विरूद्ध अधिक भुगतान था एवं उक्त एफटीओ पर प्रथम डिजिटल हस्ताक्षर सहायक लेखा अधिकारी श्री योगेश शर्मा एवं द्वितीय डिजिटल हस्ताक्षर सहायक अभियन्ता अपीलार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा पंचायत समिति रैणी द्वारा एफटीओ पर लगाये गये। कार्यालय के पंत्राक 2668–69 दिनांक 22.02.2024 द्वारा महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के सामग्री मद से अधिक भुगतान करने के कम में वस्तुस्थिति एवं तथ्यों से अवगत करवाये जाने हेतु निर्देशित किया गया, जिसकी पालना में विकास अधिकारी पंचायत समिति रैणी के द्वारा पत्रांक 964 दिनांक 23.02.2024 द्वारा सूचना भेजी गई। महात्मा गाँधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 के सामग्री मद में आवंटित राशि 210.06 के स्थान पर 274.06 का भुगतान कर दिया गया, जो कि राशि 64 लाख

रूपये का अधिक भुगतान होना पाया गया है, जो कि विभागीय दिशा निर्देश/नियमों के विपरित है। इसमें Signatory Date 22–08–2023 के कुछ FTO को छोडकर Signatory Date 28–08–2023 व 03–10–2023 के FTO भुगतान किया गया। जिन ग्राम पंचायतों के एफटीओ का भुगतान पंचायत समिति रैणी द्वारा किया गया उनमें ग्रा. पं. जामडोली, बबेली, सालोली एवं ईटोली के 131 लाख भुगतान हेतु एफटीओ लगाये गये है, उनमें मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022–23 में 02 करोड रूपये से अधिक व्यय राशि किये जाने पर कार्यों की जाँच कार्यालय पत्रांक मनरेंगा/23–24/792–796 दिनांक 28.07.2023 के तहत् जिला परिषद कार्यालय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। ग्राम पंचायत, जामडोली, बबेली, सालोली एवं ईटोली को किये गये भुगतान में अनियमितता बरती गई है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर यह प्रतीत होता है कि प्रथम डिजिटल हस्ताक्षर सहायक लेखाधिकारी योगेश शर्मा, द्वितीय डिजिटल हस्ताक्षर सहायक अभियन्ता अपीलार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा एवं संविदाकर्मी लेखा सहायक श्रीमती अनुष्का जाटव पंचायत समिति रैणी के द्वारा राशि 64 लाख रूपये का एफटीओ के माध्यम से अधिक भुगतान करना, FIFO पद्धति की अवहेलना व जॉच में प्रकियाधीन कार्यों का भुगतान करना प्रथम दृष्टया संदेहास्पद प्रतीत होता है एवं विभागीय निर्देशों दिनांक 19.02.2024 की अवहेलना को दर्शाता है। डिजिटल हस्ताक्षर याचिकार्थी की ही आईडी एवं पासवर्ड से हुये है, जिससे स्पष्ट है उक्त अधिक भुगतान मे सहायक लेखाधिकारी योगेश शर्मा, एवं सहायक अभियन्ता अपीलार्थी श्री अशोक कुमार शर्मा और संविदा लेखा सहायक श्रीमती अनुष्का जाटव पंचायत समिति रैणी तीनों कार्मिक प्रथम दृष्टया दोषी है। श्रीमती अनुष्का जाटव, लेखा सहायक पंचायत समिति रैणी में संविदा पद पर नियोजित है, जिनकी संविदा नियमों के अन्तर्गत संविदा सेवा समाप्ति के संबंध मे नियमानुसार कार्यवाही कार्यलय स्तर पर प्रक्रियाधीन है। अपीलार्थी व अन्य कार्मिकों को राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 13(1)(क) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम अधिकारी द्वारा निलम्बन आदेश दिनांक 29–02–2024 जारी किये गये जिसमें किसी प्रकार की कोई दुर्भावना अथवा नियमों का उल्लंघन नही है।

4. हमनें दोनों पक्षों द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया।

5. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी ने भुगतान किये जाने का कोई कार्य नहीं किया। समस्त भुगतान का कार्य अनुष्का जाटव द्वारा किया गया। अपीलार्थी के डिजिटल हस्ताक्षर गलत प्रकार से काम में लिये गये हैं। प्रत्यर्थी विभाग के अधिवक्ता का तर्क है कि भुगतान में अपीलार्थी के डिजिटल हस्ताक्षर अपीलार्थी की आई–डी एवं पासवर्ड से हुए है। पंचायत समिति, रैणी में 64लाख रूपये का अधिक भुगतान नियम विरूद्ध तरीके से किया गया है, जिसके सम्बन्ध में अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है।

6. हम यह पाते हैं कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी के विरूद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के लिये प्रथम दृष्टया आधार यह माना है कि भुगतान अपीलार्थी की आई–डी एवं पासवर्ड से हुआ है। यह नहीं माना जा सकता है कि अपीलार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने का कोई प्रथम दृष्टया आधार न हो। ऐसी स्थिति में आलोच्य आदेश जो सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया है, उसमें अधिकरण स्तर पर किसी तरह के न्यायिक हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता है। इस कारण हम अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस में कोई बल होना नहीं पाते है तथा अपीलार्थी द्वारा हमारे समक्ष ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह स्थापित हो सके कि आलोच्य आदेश विद्वेषपूर्ण, मनमाना अथवा विधि के किन्हीं नियमों के विपरीत हो।

7. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील मय स्थगन प्रार्थना पत्र, सारहीन एवं बलहीन होने के कारण ग्राहयता के प्रक्रम पर ही एतद्द्वारा खारिज की जाती है।

(शुचि शर्मा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

R